न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 203/2018/(2018/00203) जिला–अजमेर

1. श्री कमरूद्दीन खान पुत्र श्री हाजी अलाबक्ष जाति मुसलमान निवासी खानपुरा तहसील व जिला अजमेर ।

---अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर।

--- प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर अन्तर्गत
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/17 दिनांक 06–08–2018
बउनवान कमरूद्दीन खान बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित– 1. श्री नौरतमल जैन् अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 18.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विवादग्रस्त आराजियात बाबत प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत जवाब प्रस्तुत किया जिसके पेरा संख्या 02 के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि जिसका नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 1–2–1992 स्वीकृत

किया जाकर चंदीराम को खातेदार दर्ज किया गया तथा वर्किंग जमाबंदी के अनुसार अपीलार्थी चंदीराम खातेदार दर्ज था। खातेदार चंदीराम के द्वारा अपीलाधीन भूमि अपीलार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकित 21–2–2013 द्वारा बेचान की गई और इसके आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 10–4–2013 दर्ज किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में अपीलार्थीगण खातेदार दर्ज है। जवाब आवेदन पत्र के पेरा संख्या 03 के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा यह भी स्वीकार किया कि विवादित भूमि जिसे वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज के प्रतिकूल वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज सिवायचक दर्ज किया गया जबकि वर्किंग जमाबंदी के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में भी आवेदनकर्ता (वर्तमान अपीलार्थी) का ही नाम दर्ज किया जाना चाहिए था अतः आवेदक (वर्तमान अपीलार्थी) अनुतोष पाने का अधिकारी है। इस प्रकार अप्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी (वर्तमान अपीलार्थी) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 पर स्वीकारोक्ति प्रमाणित है। अतः (वर्तमान अपीलार्थी) अनुतोष पाने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलार्थी विवादित भूमि के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा कानूनी नजीरे भी प्रस्तुत की गई थी जिससे स्पष्ट था कि वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार विवादग्रसत आराजियात का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में किया जाना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों एवं परिपत्र दिनांक 20–11–1995 एवं 20–12–1995 बाबत अपीलाधीन आदेश में उल्लेख तक नहीं किया गया। परिपत्र दिनांक 20–11–1995 संशोधित नियम 1995 के अनुसार खातेदारी अथवा गैर खातेदारी भूमि में बदलाव नहीं किया जा सकता, यदि किया गया तो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्ववत जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार ही वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया जाना चाहिए था। पूर्ववत जमाबंदी के इन्द्राज के प्रतिकूल वर्तमान जमाबंदी में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया जिसे दुरूस्त किया जा सकता है। परिपत्र दिनांक 20–11–1995 के अनुसार अप्रार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी) द्वारा उनकी त्रुटि भी अपने जवाब में स्वीकार की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दृष्टांत व परिपत्र जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये थे, को नजरअन्दाज कर और उनका विवेचन नहीं कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ग्राम दौराई तहसील, अजमेर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात वर्किंग खसरा नम्बर 2703 रकबा 1–01–0 वर्तमान खसरा

नम्बर 2809 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी–2, वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 अनुसार व नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 10–4–2013 के अनुसार अपीलार्थीगण खातेदार दर्ज है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज के प्रतिकूल भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सिवायचक का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया है जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चंदीराम पुत्र श्री नारूमल को क्लेम के ऐवज में जिला कलक्टर एवं सेटलमेंट कमिश्नर अजमेर द्वारा आदेश कमांक एफ. 35(10)पुर्नवास/90/146 दिनांक 16–11–1991 को चंदीराम के पक्ष में सनद जारी की गई, जिसके अनुसार चंदीराम के पक्ष में सहायक कलक्टर भू–अभिलेख अधिकारी अजमेर के द्वारा मिसल संख्या 208/91 आदेश दिनांक 31–1–1992 के अनुसार एवं सनद के अनुसार चंदीराम के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 1–2–1992 को स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जामबंदी के अनुसार चंदीराम पुत्र नारूमल खातेदार दर्ज था। खातेदार श्री चंदीराम पुत्र नारूमल से अपीलार्थीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांकित 21–2–2013 के अनुसार कय की गई जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 10–4–2013 को स्वीकृत किया जाकर तद्नुसार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार अपीलार्थीगण खातेदार दर्ज है। भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 की कायम करते हुए वर्णित भूमि को सहवन से सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि वर्किंग जमाबंदी सम्वत् 2041 के अनुसार एवं अपील में दर्शाये अनुसार अपीलार्थी खातेदार दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 को कायम करते हुए उसमें गलत रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलार्थी की खातेदारी आराजियात को गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है। इस कारण वर्किंग जमाबदी के इन्द्राज के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नियमित वाद के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थी (वर्तमान अपीलार्थी) स्वतंत्र है, का उल्लेख किया है जबकि कानूनी नजीरों एवं परिपत्र के अनुसार नियमित वाद करने की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि ऐसे प्रकरणों की लिपिकीय त्रुटि को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु अधिनस्थ न्यायलय द्वारा समस्त कानूनी प्रावधानों में प्रतिपादित दृष्टांत एवं परिपत्रों को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–8–2018 निरस्त किया जाकर वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में अपीलार्थी का नाम दुरूस्त करवाये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:38:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों का भी उल्लेख किया गया जिनमें पारित निर्णयों में प्रतिपादित

सिद्धान्त के अनुसार पूर्व जमाबंदी के अनुसार ही वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया जाना चाहिए। पूर्ववत जमाबंदी के इन्द्राज के प्रतिकूल वर्तमान जमाबंदी में भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया है जो दुरूस्त किया जाना चाहिए था।

1. आर.आर.डी 2009 पेज 954,
2. आर.आर.डी 2003 पेज 118,
3. आर.आर.डी 2002 पेज 334,
4. आर.एल डब्लयू 2001 पेज 600 एच सी,
5. आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 814 उर्मिला देवी बनाम सरकार दिनांक 4–11–1997
6. आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391
7. आर.बी.जे. 1996 पेज 8
8. आर.बी.जे. 2015 पेज 734

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी के राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात भू–प्रबन्ध विभाग, अजमेर द्वारा सिवायचक अंकित होकर राजकीय भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नहीं आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है। इसलिए इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–8–2018 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 में रेकार्ड अथवा दस्तावेज में देखते ही कोई त्रुटि नजर आये उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। चूंकि प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में रेकार्ड अथवा दस्तावेज में प्रथम दृष्टया देखते ही कोई त्रुटि नजर आने का मामला नहीं बनता है और न ही प्रत्यर्थी/अप्रार्थी की ओर से सहमति दिये जाने का कोई रेकार्ड/दस्तावेज ही रेकार्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल तथा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई [illegible] नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो एवं बहस के दौरान उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत तथ्यपरक समानता नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा नहीं होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–08–2018 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र 42/2017 बउनवान कमरूद्दीन खान बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested